कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री शिव कुमार गुप्ता, बैंक कालोनी, राजेन्द्र नगर, उरई-जालौन।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**007 / 12, 09.02.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री शिव कुमार गुप्ता, बैंक कालोनी, राजेन्द्र नगर, उरई-जालौन द्वारा दिनांक 09.02.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' कूड़ा गाड़ी '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कूड़ा गाड़ी का प्रयोग नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़ा गाड़ी हाथ से चला कर कूड़ा उठा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कूड़ा गाड़ी लोहे की मोटी 22 गेज चद्दर से बनाया जाता है तथा 3 फिट लम्बा, 2 फिट चौड़ा एवं 2 फिट गहरे आकार का बनाया जाता है तथा इसमें लोहे के 2 पहिये लोहे की रॉड पर 1 फिट व्यास के एंगिल को मोड़ कर लगाया जाता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उल्लिखित वस्तु अनुसूची-एक (क) के व्हील बैरो के अन्तर्गत आता है जिसे करमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, झॉसी सम्भाग, झॉसी द्वारा पत्र संख्या-3212, दिनांक 26.03.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी का कथन सही नहीं है क्योंकि कूड़ा गाड़ी Agricultural implements / कृषि उपकरण के अन्तर्गत नहीं आता है अत: इस पर नियमानुसार शेड्यूल-V में अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करदेयता होती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में वर्णित हस्त चालित कूड़ा गाड़ी एक प्रकार का wheel barrow ही है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 (ए) के अन्तर्गत जिस wheel barrow का उल्लेख करते हुए करमुक्त किया गया है वह Agricultural implements के रूप में है। ऐसा wheel barrow जिसका उपयोग कृषि कार्य के अन्तर्गत किया जाता हो उसे ही अधिनियम में करमुक्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा वर्णित कूड़ा गाड़ी स्वरूप में अनुसूची-I के क्रमांक-1 (ए) में वर्णित wheel barrow के समान है, किन्तु उसका उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं किया जाता है जिसके कारण कूड़ा गाड़ी कृषि उपकरण अथवा Agricultural implements के अन्तर्गत नहीं आना चाहिए। प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं तथा न ही प्रार्थना-पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य लगाया गया है जिससे प्रमाणित होता हो कि कथित कूड़ा गाड़ी, प्रयुक्त न होने के बावजूद भी एक कृषि उपकरण या यन्त्र है। उक्त वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है अत:

<u>सर्वश्री शिव कुमार गुप्ता / प्रा0 पत्र सं0-007 / 12 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, झाँसी सम्भाग, झाँसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि मानव चालित कूड़ा गाड़ी स्वरूप में समान होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 (ए) में वर्गीकृत wheel barrow से आच्छादित नहीं है क्योंकि अनुसूची-I के क्रमांक-1 में Agricultural implements एवं कृषि कार्य में उपयोग आने वाले वस्तुओं को ही उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कूड़ा गाड़ी का उपयोग कृषि कार्य में नहीं अपितु कूड़ा-कचरा के परिवहन में होता है। उक्त वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत भी नहीं है अतः कूड़ा गाड़ी पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 फरवरी, 2014

ह0 / 26.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।